कार्यसूची सं.	**1**
बैठक का दिनांक	**10.02.2016**
बैठक सं.	**54**

दिनांक **09** नवम्बर, **2015** को आयोजित **5**3 वीं एस एल बी सी बैठक
के कार्यवृत्तों की पुष्टि

- दिनांक 09 नवम्बर , **2015** को आयोजित **5**3 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं |
- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है।

कार्यसूची सं.	**2**
बैठक का दिनांक	**10.02.2016**
बैठक सं.	**54**

पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	बर्तमान स्थिति
3.1.1	**22.03.2002**	<u>भूमि अभिलेखों का अद्यतन**(Updation)** और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम)</u> राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि, **1.** किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की **R.B.I** के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके| **2.** राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, **MSE,**शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।	(a) 13 जिलों मे भूमि अभिलेख का डिजिटिकरण(अद्यतन के बिना**)** का कार्य JSAC द्वारा शुरू हो चुका है। शेष जिलों में कंप्यूटरीकरण का कार्य जिला स्तर पर कराया जा रहा है | (b) अभी तक 87 अंचल ऑन-लाइन हो चूका है ।प्रथम चरण के 13 जिलों में से मात्र 12 जिला यथा : रांची,बोकारो,हजारीबाग,लोहरदगा,रामगढ, दुमका, खूंटी,गुमला,धनबाद,सरायकेला-खरसावाँ, पूर्व एवं पश्चिमी सिंहभुम तथा दुसरे चरण में 11 जिलों में से मात्र 4 जिलें यथा गिरिडीह,चतरा,लातेहार एवं सिमडेगा के कुल 87 ऑन-लाइन अंचलों के कुल 61 अंचलों में ऑन-लाइन म्युटेशन प्रारंभ किया गया है | (c) छोटानागपुर एवं संथाल परगना अंचलों में SC/ST/OBC आवेदकों की भूमि बंधक रखकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम,1949 की धारा-20 में संशोधन हेतु श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, माननीय ग्रामीण विकाश मंत्री के अध्यक्षता में झारखण्ड जनजातीय परामर्शदाता परिषद का एक उपसमिति का गठन किया गया है |उप समिति का अनुशंसा अप्राप्त है , अनुशंसा प्राप्त होने पर विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी |
3.1.2.	**22.03.2005**	**<u>पी डी आर अधिनियम में संशोधन</u> - राज्य सरकार के द्वारा , एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन करने की प्रस्ताव थी , जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा**	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस का अपफ्रॉन्ट भुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की

		अपफ्रॉन्ट कोर्ट फीस के भुगतान न कर , रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संशोधित प्राबधान लागु करने की प्रस्ताव थी|	धारा 5 में बदलाव किया है,जो प्रस्ताव से भिन्न है| **<u>कुछ जिलों में उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भी कार्रवाई नही हो रही थी। प्रधान सचिव , योजना एवं वित्त भाग ,झारखण्ड सरकार के द्वारा सभी जिला के उपायुक्तों को उपर्युक्त गजट अधिसूचना का अनुपालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिया जा चूका है |</u>**
3.1.4.	**20.03.2009**	**" बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम " जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन** **46 वें बैठक में तय समय सीमा - 01 माह बिहार में लागू अधिनियम की प्रति झारखण्ड सरकार को समिति द्वारा प्रदान किया गया है।**	RBI की तकनीकी ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर Advocate General से परामर्श लिया गया, जिसमे उन्होंने एक Expert Panel जिनकी इस विषय पर expertise प्राप्त हो, का गठन का परामर्श दिया है| उक्त परामर्श के आलोक में कार्यवाही, झारखण्ड सरकार द्वारा विचाराधीन है	
3.1.5.	**29.09.2010**	**राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना |**	Dedicated Certificate Officer के रूप में अवकाश प्राप्त अधिकारीयों की नियुक्ति हेतु "लोक मांग वसूली अधिनियम विधेयक" 2015 को विधान सवा द्वारा पारित कर दिय गया है, जिसके उपरांत लोक वसूली अधिनियम 1914 में संशोधन हेतु माननीय राष्ट्रपति की सहमति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है	
3.1.6.	**19.02.2002**	राज्य में बैंक के खजाने का रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था **46वें बैठक में तय की गई समय सीमा - 02 माह**	**इस विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना एवं राज्य सरकार के सुरक्षा समिति के साथ बैठक भी हुई, जिसमें RBI के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि एस आई एस एफ के सुरक्षाकर्मियों को CURRENCY CHEST में तैनाती होनी है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दीए गए शर्तों को लागू कर पाना बैंकों के लिए कठिन और महंगा है। राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर व्यावहारिक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है, SLBC, सुरक्षा उप-समिति की बैठक में प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, ने उपरोक्त विषय पर बताया कि जो भी वित्तीय जरुरत होगी उस पर पुनः विचार किया जायेगा .**
3.1.7.	**01.12.2008**	**आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन** .	• **सभी जिलों में भूमि आवंटित कर दि गई है |** • **निम्नलिखित जिलों में RSETI भवन निर्माण का कार्य आवंटित बैंकों के द्वारा प्रारंभ नही किया गया ,** **a. SBI - गढ़वा,लातेहार,पलामू,साहिबगंज** **b. Canara बैंक - सिल्ली** **c. PNB - सराइकेला** • **रामगढ जिला में आवंटित भूमि आवंटि बैंक PNB**

			के द्वारा अनुपयुक्त पाया गया .
3.1.8	**9.05.13**	**नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।**	योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तर की समिति गठित की गई है । समिति ने यह रिपोर्ट दिया है कि झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की अनुमति नही देता है। ड्राफ्ट उपविधियां तैयार होने की प्रक्रिया में है।
3.1.9	**27.05.14**	रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय,, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।	**झारखंड सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड के कार्यालयों हेतु भूमि आवंटित किया गया ।** **झारखंड सरकार के द्वारा , उपायुक्त , रांची को,SLBC व BOI की संयुक्त प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का आदेश पारित किया गया पर इसमें अध्यतन सुचना अप्राप्त है ।**
3.1.10	9.12.15	कई जिलों के उपायुक्त कार्यलयों से , बैंकों को SARFAESI एक्ट के तहत प्रशासनिक अनुमति प्राप्त होने में असामान्य विलम्व हो रही है,झारखण्ड सरकार से आग्रह है की सभी जिला-प्रशासन को उपयुक्त दिशानिर्देश दिया जाय ।	**योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक दिशानिर्देश भेजा जा चूका है ।**
3.1.11	3.12.15	झारखण्ड सरकार से आग्रह है की बैंकों से वित्त-पोषित एवं HYPOTHECTED सभी व्यावसायिक वाहनों के परमिट (PERMIT) नवीकरण के समय,संवंधित बैंकों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करने को आवश्यक बनाया जाय,इससे बैंकों के ऋण खातों में रिकवरी में सहायता मिलेगी ।	**योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा, सचिव ,परिवहन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशानिर्देश दिया जा चूका है, परंतू परिवहन सचिव द्वरा जिला स्तर पर दिशानिर्देश जारी नही किया गया है ।**

बैंक से संबधित मामले **Issues Pertaining To Banks**

क्रं.स.	से लंबित	मामले	बर्तमान स्थिति
3.1.11	**2013**	**आरसेटी भवन का निर्माण कार्य बीओआई, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा शुरू नही किया गया है। संलग्नक सं. में लम्बित विवरणी संलग्न है।**	• **निम्नलिखित जिलों में RSETI भवन निर्माण का कार्य आवंटित बैंकों के द्वारा प्रारंभ नही किया गया ,** **a. SBI -गढ़वा,लातेहार,पलामू,साहिबगंज** **b. Canara बैंक - सिल्ली** **c. PNB - सराइकेला** **रामगढ जिला में आवंटित भूमि आवंटित बैंक PNB के द्वारा अनुपयुक्त पाया गया .**
	मई 2015	**RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES का बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना |**	बैंकों के द्वारा ऐसे कुल 2769 प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया |

कार्यसूची सं.	**3**
बैठक दिनांक	**10.02.2016**
बैठक सं.	**54**

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक (KEY INDICATORS)

31 दिसम्बर **,2015** को मुख्य कारोबार पैरामीटर्स के तहत समग्र स्थिति**:**

(Rs. in crore)

क्र.स.	**विषय**	**31.12.14**	**31.03.2015**	**31.12.15**	बेंच मार्क
1	**जमाएं**	132580.95	139956.08	148398.78	
2	**क्रेडिट**	62556.15	65842.38	67532.33	
3	**उपयोग के स्थान * & आरआईडीएफ** के अनुसार क्रेडिट**	19321.27	20244.39	20691.36	
4	**कुल क्रेडिट**	81877.42	86086.77	88223.69	
5	**सी डी अनुपात** (%)	61.76	61.51	59.45	60
6	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम**	31566.90	33736.07	35928.52	
7	**कुल अग्रिम में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पी एस ए) का हिस्सा** (%)	50.46	51.23	53.20	40
8	**कृषि अग्रिम**	11223.08	11745.67	12397.47	
9	**कुल अग्रिम में कृषि ऋण (पी एस ए) का हिस्सा** (%)	17.94	17.83	18.36	18
10	i. **सुक्ष्म एवं लघु उद्यम के क्षेत्र का अग्रिम**	12262.35	13120.50	13944.31	
	ii.**कुल अग्रिम में सुक्ष्म एवं लघु उद्योग का हिस्सा** (%)	19.60	19.92%	20.65	
11	**एम एस ई में माईक्रो इन्टरप्राईज का हिस्सा**	49.08	51.22%	50.62%	
12	**कमजोर वर्ग को अग्रिम**	10752.93	11361.01	14337.25	
13	**कुल अग्रिम में कमजोर वर्ग को प्रदत्त अग्रिम** (%)	17.19	17.25%	21.23	10
14	**डी आर आई अग्रिम**	29.11	29.55	39.01	
15	**कुल अग्रिम में डी आर आई अग्रिम का हिस्सा** (%)	0.05	0.04%	0.06	1
16	**महिला को प्रदत्त अग्रिम**	12906.30	13200.38	14410.45	
17	**कुल अग्रिम में महिला को प्रदत्त अग्रिम का हिस्सा (एन एन बी सी)**(ANBC) (%)	20.63	20.05	21.34	5

18	**अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अग्रिम (राशि)**	4566.44	4869.83	5104.04	
19	**पी एस सी के तहत्त अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अग्रिम का हिस्सा** (%)	14.46	14.43%	14.20	15
20	**एन पी ए**	3688.34	3680.70	4102.05	
	सकल ऋण का प्रतिशत	5.90	5.59	6.07%	
21	**शाखा नेटवर्क (सं.) - ग्रामीण** **अर्द्धशहरी** **शहरी** **कुल**	1403 706 640 2749	1429 720 650 2799	1455 735 674 2864	
22	**झारखंड में स्थापित एटीएम**	2517	2608	2696	

*__परिशिष्ट__ - 1,** __संलग्नक सं.__ -.1 __परिशिष्ट__ - 4 __के अनुसार__, __परिशिष्ट__ - 2 ,__परिशिष्ट__ -I, __परिशिष्ट__ –9

बैंकों के द्वारा दी जा रही आनुसांगिक सेवाएँ ,			
1	**आरसेटी एवं रूडसेटी**	**आरसेटी**	24
		रूडसेटी	1
2.	**वित्तीय साक्षरता शिविर**	**कमर्शिअल बैंक**	296
		ग्रामीण बैंक	489
3.	**PMJDY के अंतर्गत SSA में बैंकिंग सेवा का प्राबधान**	**बैंकिंग सेवा से आच्छादित** SSA	4175
		माइक्रो ऐ.टी.एम्	3209

सुचना - हमें खेद है, कि निर्धारित समय से Indusind बैंक का आंकड़ा (data) प्राप्त न होने के कारण, उपर्युक्त आंकड़ों में Indusind बैंक का आंकड़ा (data) सम्मिलित नही किया जा सका |

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमाओं में **रूपये.15817.83** करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई, 31 दिसम्बर**,** 2015 तक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 11.93 प्रतिशत दर्ज की गई है|

ऋण वृद्धि

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में **रूपये** 4976.18 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई ,31 दिसम्बर**,** 2015 तक वर्ष-दर वर्ष वृद्धि 7.95 प्रतिशत दर्ज की गई है ।

क्रेडिट - जमा अनुपात (C.D Ratio)

बैंकों का सीडी अनुपात 61.76 % से , पिछले एक साल मे घट कर, 59.45 % हुआ है|

(**31 दिसम्बर ,2014 से 31 दिसम्बर ,2015 तक**) , इसका मुल कारण जमा वृद्धि का वार्षिक-दर, जो कि 11.93% है का ,ऋण-वृद्धि का वार्षिक दर से , जो कि 7.95 % है, ज्यादा होना है

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर **31 दिसम्बर,2015** को रू. 4361.62 करोड़ (13.82 प्रतिशत) का वृद्धि दर्ज किया गया है।समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 53.20 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।

कृषि अग्रिमAgriculture Credit

31 दिसम्बर,2015 को कृषि अग्रिम रू. 12397.47 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 18.36 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में कुल रू. 1174.39 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.46 प्रतिशत की वृद्धि है।

कमजोर वर्ग Weaker Section

झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 14337.25 करोड़ (21.25 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से काफ़ी बेहतर है।

महिलाओं को ऋण Advance to Women

31 दिसम्बर ,2015 तक महिलाओं को रूपये 14410.45 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें वर्ष -दर- वर्ष आधार पर रूपये 1504.15 करोड़ वृद्धि दर्ज की गई है, जो की लगभग 11.65 % वृद्धि है |

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण Advance to Minority Community

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 4566.44 करोड़ से, पिछले एक साल मे बढ़ कर रूपये 5104.04 करोड़ रूपये हो गया है । इसमें वर्ष -दर -वर्ष आधार पर 11.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 14.20 % है , जो मानक 15 प्रतिशत से कम है |

30 सितम्बर,2015 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15 **, दिनांक** 1.07.14 **के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर (एस एल बी सी) उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।**

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण -जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs **in crore)**

विवरण		**31 दिसम्बर ,2014**	**31 दिसम्बर ,2015**	
जमा		**132580.95**	**148398.78**	
कोर अग्रिम	**62556.15**		**67532.34**	
उपयोग के अनुसार	**16272.56**		**17304.03**	
आर आई डी एफ	**3048.70**		**3387.33**	
कुल अग्रिम	**81877.41**		**88223.70**	
ऋण-जमा अनुपात		**61.76%**		**59.45%**

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण - जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

नोट - Indusind बैंक से 31 दिसम्बर,2015 से संवंधित कोई भी रिपोर्ट/data अप्राप्त होने के स्थिति में वर्तमान आंकड़ों में कुछ गिरावट नजर आ रही है , वास्तविक तुलनात्मक विश्लेषण हेतु, Indusind बैंक के दिनांक : 30.09.15 के आंकड़ों से संवंधित निम्नलिखित आंकलन का सन्दर्भ लें ,

	31.12.15 Indusind बैंक के अलावा अन्य सभी बैंकों के कूल	**30.09.15**	
		Indusind बैंक के अलावा अन्य सभी बैंकों के कूल	**Indusind बैंक को लेकर सभी बैंकों के कूल**
जमा	148398.78	146558.12	146956.73
अग्रिम	88223.69	88314.51	89223.13
C.D Ratio	59.45%	60.25%	60.71%

कार्यसूची सं.	**4**
बैठक का दिनांक	**10.02.16**
बैठक संख्या	**54**

4.1 वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के तहत्त :
उपलब्धियों की समीक्षा : 31 दिसम्बर , 2015 तक

समग्र स्थिति

31 दिसम्बर , 2015 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रू करोड़ में)

सेक्टर	**वार्षिक लक्ष्य (2014-15)**	**31.12.14 तक उपलब्धि**		**वार्षिक लक्ष्य (2015-16)**	**31.12.15 तक उपलब्धि**	
	राशि	**राशि**	**%**	**राशि**	**राशि**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
कृषि	**6335.00**	1892.08	29.86	**7078.38**	3092.46	**43.68**
एम एस ई	**5532.95**	2635.35	47.63	**6130.67**	5228.80	**85.28**
ओ पी एस	**2957.73**	1183.46	40.01	**3097.87**	1417.67	**45.76**
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का कुल	**14830.68**	5710.89	38.50	**16306.92**	9738.93	**59.72**
गैर प्राथमिकता प्राप्त का कुल	**9689.48**	6613.41	68.25	**10616.76**	9923.91	**93.47**
कुल	**24520.16**	**12324.30**	**50.26**	**26923.68**	**19662.84**	**73.03**

वार्षिक ऋण योजना के तहत्त 31 दिसम्बर ,2015 तक बैंकवार/जिलावार और सेक्टर वार लक्ष्य एवं उपलब्धि, परिशिष्ट 6 में दिया गया है।

दिसम्बर तिमाही तक ACP 2014-15 & ACP 2015-16 मे किया गया संवितरण का तुलनात्मक विवरण

सेक्टर	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दिसम्बर तक किया गया संवितरण	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दिसम्बर तक किया गया संवितरण	वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 के दिसम्बर तिमाही तक किये गये संवितरण में तुलनात्मक वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि % INCREASE
1	2	3	**4**	**5**
कृषि	1892.08	3092.46	**1200.38**	**63.44**
एम एस ई	2635.35	5228.80	**2593.45**	**98.41**
ओ पी एस	1183.46	1417.67	**234.21**	**19.79**
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	5710.89	9738.93	**4028.04**	**70.53**
कुल गैर प्राथमिकता क्षेत्र	6613.41	9923.91	**3310.50**	**50.05**
कुल	**12324.30**	**19662.84**	**7338.54**	**59.54**

टिप्पणियां :

- **वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के तहत, दिसम्बर तिमाही तक, वार्षिक ऋण योजना 2014-15 की तुलना में, सभी ऋण के संवितरण में काफी बृद्धि हुई है। यह उत्साहवर्धक बिषय है।**
- **कृषि क्षेत्र में, वार्षिक ऋण योजना 2015-16 में दिसम्बर तिमाही तक, रु 3092.46 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण अत्यधिक उत्साहजनक है एवं फलस्वरूप कृषि ऋण की संवितरण में SLBC एवं सभी सदस्य बैंकों के बढती हुई रूचि के कारण कुल ऋण में कृषि ऋण का प्रतिशत बढकर 18.36 % हो गया , जो कि राष्ट्रीय बेंच-मार्क 18% से ज्यादा है ।**

- झारखंड राज्य के बैंकों को राज्य के बाहर मंजूर किये गए क्रेडिट सीमा जिन्हें झारखंड के अंदर उपयोग किया जा रहा हो, उन संवितरणों को राज्य में स्थित बैंकों के शाखाओं के द्वारा किये गये संवितरण के साथ समाहित करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से संपर्क करना चाहिए |
- साथ ही, C.D Ratio निर्धारण के समय इस बात पर भी यथोचित सावधानी बढती जनि चाहिए की "झारखण्ड के बाहर स्वीकृत परंतू झारखण्ड राज्य के अंदर उपयोग में लाये जाने वाले ऋण राशि" को एक ही बाढ़ कुल ऋण OUTSTANDING के साथ जोड़ा जाय एवं C.D Ratio पर इसका दोहरा प्रभाव न पढ़े |
- मौजूदा भूमि अभिलेख की अन-उपलब्धता, भूमि बंधक के कड़े नियम, फसल बीमा का सीमित समय तक की उपलब्धता और वो भी चयनित फसलों के लिए, साथ-साथ सुरक्षा का बर्तमान माहौल एवं वसूली का वातावरण , कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण में बाधक साबित हो रहा है।

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	10.02.16
बैठक संख्या	54

5. REVIEW OF LENDING ऋण का समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें केसीसी योजना भी शामिल है

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रू. 12397.47 करोड़ है जो सकल ऋण का 18.36 % है। यह राष्ट्रीय मानक बेंचमार्क 18 प्रतिशत से अधिक है। सभी हितधारकों-राज्य सरकार, बैंक, नाबार्ड और अन्य एजेन्सी इस ओर फोकस होने के कारण इस क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहे है।

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति STATUS OF KCC IN JHARKHAND

(Amt. In Crores)

बैंको की श्रेणी	Disbursement During 15-16		Outstanding In KCC Accounts AS OF 31.12.15		Out of Total K.C.C at the end of Reporting Quarter (Standard Asset)	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	329741	881.50	1278044	4059.81	972714	3083.39
निजी बैंक	6279	49.63	8614	68.57	8434	65.72
कुल	336020	931.13	1286658	4128.38	981148	3149.11
आर आर बी	121436	384.74	333642	973.10	96829	282.78
कॉपरेटिव बैंक	997	1.64	14853	30.29	0	0
कुल ।	458453	1317.51	1635153	5131.77	1077977	3431.89

रुपे क्रेडिट कार्ड RuPay Credit Card

सभी सामान्य के सी सी खातॉ को दि : 31.03.2013 तक Smart K.C.C खातॉ मे परिवर्तित कर उन खातों मे आबश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था ,ताकि यह ए टी एम एवं पी ओ एस में भी कार्य कर सके। यह पाया गया है कि समस्त के सी सी धारकों को एक या अन्य कारणों से रुपे कार्ड जारी नही किया गया है।अब तक कुल 523880 रूपये कार्ड जारी किया गया है। (विवरण अनुलग्नक में संलग्न है). SLBC की कृषि उप समिति की दिनांक :11.01.16 को अनुष्ठित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 31.03.16 तक सभी बैंकों के द्वारा 100% KCCखातों में रुपे कार्ड जारी कर दिया जाएगा |

.

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का बित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस ई) (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)

(Accounts in Lacs) **(Amt. in crore)**

Sl. No.	Particular			Outstanding position as at the end of	
				DEC. 2014	DEC.2015
(1)	(2)			(3)	(4)
1	**Micro Enterprises**		**Accounts**	**218648**	**258213**
			Amount	**6018.71**	**7058.66**
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	36674	45395
			Amount	1411.98	1736.74
	b.	Service Sector	Accounts	181974	212818
			Amount	4606.73	5321.92
2	**Small Enterprises**		**Accounts**	**79135**	**84451**
			Amount	**6243.63**	**6885.64**
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	17390	23904
			Amount	2969.69	2891.52
	b.	Service Sector	Accounts	61745	60547
			Amount	3273.94	3994.12
3	**Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)**		**Accounts**	**297783**	**342664**
			Amount	**12262.34**	**13944.30**
4.	**MEDIUM ENTERPRISES**				
a.	Manufacturing Sector		Accounts	2413	3134
			Amount	880.94	1080.30
b.	Service Sector		Accounts	26926	27274
			Amount	514.66	655.34
c.	**Total of Medium Enterprises**		**Accounts**	**29339**	**30408**
			Amount	**1395.60**	**1735.64**
TOTAL MSME (PRIORITY SECTOR ADVANCES)			**Accounts**	**327122**	**373072**
			Amount	**13657.94**	**15679.94**
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation :60%)	49.08	**50.62**
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	19.60	**20.65**

COVERAGE UNDER CGTMSE(Collateral Free Loans Upto RS. 1.00 Crore in MSME)

(A/C in 000,Amt.in Cr.)

MSE up to Rs. 1.00 Crore						Coverage under CGTMSE					
MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL		MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL	
A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	A/C	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
67	4020.32	220	6642.71	287	10663	17	1136	58	2505	75	3641

टिप्पणियां

- झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध **दिसम्बर ,** 2015, मे 50.62 %है।
- **एम एस एम ई क्षेत्र में ऋण वितरण का राज्य में विशाल स्कोप है क्योंकि यह राज्य औद्योगिक रूप से धनी होने के साथ -साथ यहां सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई कंपनियां संचालित है। यहां खान खनिज एवं कोयला आदि का भारी संपदा है। इनके लिए उचित एन्सियलरी उद्योग को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। राज्य में एम एस एम ई के विकास हेतु प्रयास करना चाहिए।**
- यह पाया गया है कि झारखण्ड में प्रयोग किये जाने वाले वस्तुओं का निर्यात क्रेडिट कोलकाता, मुम्बई आदि जगहों पर अवस्थित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है स्थानीय शाखाओं को भी उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के उद्येश्य से निर्यात क्रेडिट हेतु सशक्त करना चाहिए।
- झारखण्ड राज्य मे, 1 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 286750 MSE ऋण खातें हैं,परंतु इनमे से केवल 75577 ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 26.36 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है |
-

5.2 (ख) "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"

दिनांक 8 अप्रैल,2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कि गई | यह योजना मुख्यत: गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई है | इस योजना को ऋण-राशि के अनुसार निम्नलिखित 3 संवर्गों में विभाजित किया गया है ,

1. "शिशु" – रु. 50,000.00 तक ऋण राशि के लिए |
2. "किशोर" - रु. 5,00,000.00 तक ऋण राशि के लिए |
3. "तरुण" - रु. 10,00,000.00 तक ऋण राशि के लिए |

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (8.04.15 से 31.12.15 तक)

(सं:000 में ,राशि करोड़ में)

शिशु				किशोर				तरुण				कुल मुद्रा ऋण			
लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
205	410	115	328	55	1093	22	485	14	820	4	284	274	2323	140	1114

झारखण्ड राज्य में मुद्रा ऋण की विभिन्न संवर्गों में, 31 दिसम्बर ,2015 तक किये गए सभी बैंकों के कुल संवितरण की AFY 15-16 में लक्ष्यप्राप्ति का प्रतिशत निम्नलिखित है ,

1. शिशु - 80 %
2. किशोर - 44 %
3. तरुण - 48 %

AFY 15-16 में झारखण्ड राज्य में , मुद्रा ऋण की स्वीकृति/संवितरण आशानुरूप नही है , विशेषकर "किशोर" एवं "तरुण" संवर्गों में उपलब्धि अत्यंत कम है | यध्यपि , वित्त मंत्रालय ,भारत सरकार , SLBC ,झारखण्ड , वित्त निदेशालय, झारखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न बैठकों में इस बात पर चिंता व्यक्त किया गया एवं सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों द्वारा उन बैठकों में यह आश्वासन भी दिया गया कि उनके बैंकों में मुद्रा ऋण संवितरण में अपेक्षित गति प्रदान की जाएगी | इसके वावजुद स्वीकृति/संवितरण में अपेक्षित वृद्धि न होना एक गंभीर चिंता का विषय है | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से पुन: यह आग्रह है कि, वें योजनावद्ध तरीके से मुद्रा ऋण के संवितरण में अपेक्षित गति प्रदान करें |

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

<u>शिक्षा ऋण योजना के तहत्त बैंको का निष्पादन</u>

(Amt. in crore)

Particulars	As on 31.12.14	As on 31.12.15				Total As on 31.12.15	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURESEMENT MADE DURING AFY 2015-16 in ACP 15-16
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Account	63186	58439	145	911	1	59496	(-)3690	11287
Amount (In crore)	2194.98	2203.32	3.10	25.90	0.10	2232.42	37.44	302.52

- उपरुक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि राज्य के बैंकों के शिक्षा ऋण का संवितरण आशानुरूप नहीं है , पिछले कई SLBC बैठक में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, परंतू इसमे कोई आशानुरूप प्रगति परिलिक्षित नही हो रही है, एवं शिक्षा ऋण संवितरण में झारखण्ड राज्य के बैंकों का प्रदर्शन एक चिंता का विषय बना हुआ है | शिक्षा ऋण देश के मानव पूंजी के विकास के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाता है। देश के भविष्य एवं आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों को इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है | झारखंड से प्रति वर्ष छात्र बड़ी संख्या में देश के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश पा रहे है। राज्य के बैंकों से शिक्षा ऋण की स्वीकृति में और बेहतर भूमिका निभाने की अपेक्षा है |

5.4- आवास ऋण

Performance of Banks under Housing loan Scheme

आवास ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन

(Amt.in Crore करोड़ में राशि)

Particulars पर्टिक्यूलर	31.12.14 तक	31.12.2015 तक				31.12.15 तक कुल	गृह ऋण में वर्षवॉर वृद्धि	ACP 15-16 में दिया गया संवितरण
		Public Sector Banks सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	Private Sector Banks निजी क्षेत्र के बैंक	RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Coop. Banks सहकारी बैंक			
No. of Account खाता की सं.	64180	59385	5161	555	1	65101	921	10746
Amount राशि(In croreकरोड़ में)	4342.53	4516.54	436.38	33.25	2.95	4989.12	646.59	1013.26

5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWER (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

31 दिसम्बर , 2015 तक स्थिति निम्न है:

(Rs. in Croreकरोड़ में रूपया))

31 दिसम्बर , 2014		%	31 दिसम्बर , 2015		अल्पसंख्यक का शेयर
पी.एस.सी	अल्पसंख्यक समुदाय		पी.एस.सी	अल्पसंख्यक समुदाय	
31566.90	4566.44	14.46	35928.52	5104.04	14.20

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

30 सितम्बर , 2015 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दीगई है (रु .करोड़ में)

31 दिसम्बर , 2014		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN महिलों के लिए क्रेडिट का प्रतिशत	31 दिसम्बर, 2015		Target of lending to Women (%) महिलाओं के लिए लेंडिंग का लक्ष्य
Gross Credit सकल क्रेडिट	Of which to Women महिलाओं के लिए		Gross Credit सकल क्रेडिट	Of which to Women महिलाओं के लिए	5% of NBC एनबीसी का 5 %
62556.15	12906.30	20.63	67532.33	14410.45	21.33

5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(

<u>31 दिसम्बर</u>, 2015 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(Rs. in Crore करोड़ में रू.)

31 दिसम्बर, 2014		31 दिसम्बर, 2015		नेट क्रेडिट मे DRI का प्रतिशत
सकल क्रेडिट	जिसमे DRI	सकल क्रेडिट	जिसमे DRI	
62556.15	29.11	67532.33	39.01	0.06

SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

31 दिसम्बर, 2015 समाप्त तिमाही मे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(करोड़ में रू.)

31 दिसम्बर, 2014		कुल ऋण का प्रतिशत	31 दिसम्बर, 2015		कुल ऋण का प्रतिशत
कुल ऋण	SC/ST को दिया गया ऋण.		कुल ऋण्	SC/ST को दिया गया ऋण.	
62556.15	15455.04	24.70	67532.33	13027.18	19.29

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

31 दिसम्बर , 2015 तक झारखंड राज्य के एल.डब्लू.ई प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रगति निम्नानुसार है,

(रू करोड़ में)

जिलों की संख्या	18
ब्लाकों की संख्या	212
गैर सरकारी संगठन की संख्या	127
नवगठित डब्लू.एस.एच.जी की संख्या	42582
एसएचजी बचत लिंक्ड की संख्या	31527
एसएचजी ऋण लिंक्ड की संख्या	11705

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (31 दिसम्बर, 2015 तक)

31 दिसम्बर, 2015 *तक की गई मुख्य प्रगति - संचयी और वार्षिक*

(रू लाख में)

संकेतक Indicators	मार्च,2015 तक की स्थिति	उपलब्धि Achievement (2015-16) 31 दिसम्बर तक	शुरुआत से अब तक संचयी उपलब्धि Cumulative achievement till date since Inception
शामिल प्रखंडों की संख्या	40	9	49
शामिल गावों की संख्या	2312	866	3178
एस आर एल एम समर्थित एस एच जी की कुल संख्या	16945	6125	**23070**
एस आर एल एम समर्थित कुल अनुमानित परिवार	211424	83365	**294789**
एस एच जी की संख्या जिसने आर एफ प्राप्त कर लिया है	11119	6162	17281
संवितरित आर एफ की राशि (लाख रु में)	1666.20	915.15	2581.35
एस एच जी की संख्या जिसने सी आई एफ प्राप्त कर लिया है	7458	6277	13735
सी आई एफ की संवितरित राशि (लाख रु में)	3783.18	4253.08	8036.26
एस एच जी की संख्या जो बैंक से क्रेडिट लिंक्ड है	1808	3627	**5435**
बैंक से क्रेडिट लिंकेज की राशि (लाख रु में)	1014.50	1915.44	2929.94

एजेंडा सं.	**6**
बैठक की तिथि	**10.02.16**
बैठक की संख्या	**54**

वित्तीय समावेशन
एवं
प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. **बी.सी (बैंक मित्रा) द्वारा एसएसए के कवरेज की स्थिति**

एसएसए की कुल संख्या	बी.सी द्वारा एसएसए का कवर (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा एसएसए कवर	अनकवर्ड
4175	3591	584	NIL

C. **पीएमजीडीवाइ के तहत खोले गए बीएसबीडी खातों की स्थिति ।**

31.12.15 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या			PMJDY खातों मे जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल		
3819158	1578439	5397597	4008426	3515352

<u>" प्रधानमंत्री मंत्री जन-धन योजना "(PMJDY) में ध्यानाकर्षण योग्य बिंदु ,</u>

1. यद्यपि कुल 4175 SSA में से सभी SSA बैंकिंग सेवा से आच्छादित किया जा चुका , परन्तु औचक निरिक्षण के दौरान यह पता चल रहा है कि, कुछ SSA में पदस्थापित BC/BCA द्वारा समुचित सेवा नहीं दी जा रही है | मिशन डायरेक्टर , PMJDY द्वारा इस बात पर चिंता प्रकट किया गया और दिनांक : 28.07.15 को बुलाई गई एक बैठक में ,जिसमे सभी मुख्य बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थें,यह निर्णय लिया गया कि ,

i. सभी SSA में पदस्थापित , बैंक-मित्रों का सुचारू संचालन के जिम्मेदारी, आवंटित बैंक की नियंत्रक कार्यालय की होगी|

ii. नियंत्रक कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि - प्रतिदिन प्रति बैंक मित्रों के औसत लेन-देन की संख्या न्यूनतम 50 हो|

iii. सभी बैंकों के नियंत्रक कार्यालय,प्रतिमाह सभी बैंक मित्रों का लेन-देन का ब्यौरा, निहित प्रपत्र में ,जो की सभी बैंकों को उपलब्ध करवाया जा चुका है , DBT सेल , झारखंड सरकार को, उपलब्ध करेंगे |

iv. सभी बैंक शाखाओं के शाखा प्रवंधक, प्रति माह,अपने शाखा से संवंधित बैंक-मित्रों का निरीक्षण के उपरांत निहित प्रपत्रों में नियंत्रक कार्यालय को निरीक्षण-रिपोर्ट जमा करेंगे |

v. उपरुक्त निरीक्षण-रिपोर्ट के एक प्रति BLBC को शाखा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा,जिसके आधार पर BLBC बैंक मित्रों के कार्यों का Monitoring करेगी |

vi. सभी बैंक शाखाओं में, ग्राहंकों को बैंक मित्रों से लेन-देन हेतु प्रेरित करने के लिए एक सूचना प्रदर्शित की जाएगी|

2. पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गया कुछ खातों में अब तक पास-बुक जारी नहीं किए गए हैं , सभी बैंको से यह आग्रह है की वे जल्द से जल्द सभी खातों में पास-बुक जारी करना सुनिश्चित करें|

3. यद्यपि पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गए खातों में अब तक कुल 3515352 रुपे कार्ड जारी किए गए , परन्तु औचक निरिक्षण के दौरान यह पता चल रहा है की बहुत से रुपे कार्ड अब तक अवितरित है एवं कुछ रुपे कार्ड अब तक Activated नहीं किया गए |

4. वित्तीय सेवा विभाग , भारत सरकार के निर्देशानुसार, सभी रुपे कार्ड धारकों को उनका कार्ड, बैंक के शाखाओं के द्वारा ग्राम/पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित कर 31.12.15 तक DELIVER करना था, एवं सभी रुपे कार्डों का ACTIVATION दिनांक 31.03.16 तक सुनिश्चित करना पड़ेगा, परंतू 31.12.15 तक सभी बैंकों के द्वारा कुल 6,45,327 रुपे कार्डों की DELIVERY नही हो पाई है एवं 13,10,049 रुपे कार्डों का ACTIVATION नही हुआ है , सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि वें अपनी बैंकों की शाखाओं को अविलम्व यह निर्देश दें की बचे हुए रुपे कार्ड का DELIVERY एवं एक्टिवेशन पंचायत स्तर पर आयोजित कैम्पों के द्वारा 31.03.16 तक अवश्य कर लें |

"प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागु किया गया, बिभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :

दिनांक : 9.05.15 को राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित योजनाएं लागु की गई ,

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना.

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना.

3. अटल पेन्शन योजना.

दिनांक: 31.12.15 तक इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है ,

PMJJBY		PMSBY		APY	
योजना में संलग्नित लाभुकों की संख्या	Auto Debit द्वारा प्रीमियम प्राप्त किया गया	योजना में संलग्नित लाभुकों की संख्या	Auto Debit द्वारा प्रीमियम प्राप्त किया गया	योजना में संलग्नित लाभुकों की संख्या	Auto Debit द्वारा प्रीमियम प्राप्त किया गया
383044	382577	1397628	1397628	30345	29415

वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अद्यतन दिशानिर्देश

- **भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्यतन निर्देशानुसार (कॉपी संलग्न) 5000 से ज्यादा आवादी वाले सभी गाँवों में दिनांक :31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य है | झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिन्हित किया गया एवं पाया गया कि इनमे से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है , बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें सूचित किया गया | बैंक वॉर आवंटित गाँवों कि संख्या संलग्न है |**
- **इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के रोड मैप के अनुसार इनमे से 31 गाँवों में बैंकों के द्वारा जनवरी-मार्च,16 तिमाही में शाखा खोलना अनिवार्य है | सभी बैंकों के नियंत्रकों से आग्रह है कि SLBC द्वारा उनको भेजा गया आवंटन-सूची के अनुसार, इन गाँवों में बैंक शाखा का संचालन आरंभ करें |**
- **गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राज्य के अंदर 16 जिलों को अत्यन्य उग्रवाद प्रभावित घोषित किया गया, एवं वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के द्वारा इन जिलों के गाँवों में बैंक शाखा खोलने हेतु झारखण्ड सरकार के साथ संयुक्त रूप से एक व्यापक योजना शुरू किया गया | झारखण्ड सरकार द्वारा इन जिलों के 5000 से ज्यादा आवादी वाले सभी गाँवों में शाखा खोलने हेतु भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया**

कार्यसूची सं	**7**
बैठक का दिनांक	**10.02.16**
बैठक सं	**53**

<u>एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबधित उपाय</u>

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दी 31 दिसम्बर , 2015 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है -:

[राशि करोड़ में]

विवरण	**31.12.14**	**31.12.15**	**Y-TO-Y Growth**	**% Growth**
सकल अग्रिम	62556.15	67532.33	4976.18	7.95
सकल एन पी ए	3688.34	4102.05	413.71	11.21
सकल अग्रिम प्रतिशत में	***6.15***	***6.07***	***(-)0.08***	

नोट : उपरोक्त राशि में रिटेन ऑफ (Written-Off) की राशि शामिल नही है।

i. **झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय अस्ति (N.P.A) , एक चिंताजनक स्थिति में पंहुच चुकी है |वर्ष-दर-वर्ष NPA में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है ,जो सकल अग्रिम की वृद्धि की गति से तेज है | रु 3688.34 करोड़ का NPA, जो सकल अग्रिम का 6.15 % है , एक चिंताजनक आंकड़ा है एवं RBI द्वारा निर्धारित मानक से काफी ज्यादा है |**
ii. **ज्यादा NPA बैंकों से नए ऋण-संवितरण में प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है एवं राज्य के अंदर नऐ ऋण की स्वीकृति में एक शंका के वातावरण का कारण बन रही है|**
iii. **NPA एवं उससे संवंधित PROVISIONING बैंकों की CAPITAL BASE पर प्रतिकूल असर डाल रही है |**
iv. **RBI, सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार को मिलकर इस समस्या की एक कारगर निदान निकालने की आवश्यकता है , बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागीओं से इस विषय पर चर्चा एवं सुझाव का अनुरोध किया जा रहा है |**

सर्टिफिकेट केस का बैंकवार स्थिति

राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

बैंक	**31.12.14**		**31.12.15**	
	सं	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
वाणिज्यिक बैंक	105841	365.42	107884	380.60
आर आर बी	6163	13.85	6683	32.82
कुल	**112004**	**379.27**	**114567**	**413.42**

सर्टिफिकेट केस की तिमाही निपटान की स्थिति निम्नवत है

[राशि करोड़ में]

बैंक	**31.12.15**	
	संख्या	**राशि**
वाणिज्यिक बैंक	202	13.27
आर आर बी	141	1.16
कुल	343	**14.43**
	कुल 114567 **मामलों में से**	

DRT केस की स्थिति

दिनांक 31 दिसम्बर ,2015 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

दिसम्बर 2014 की स्थिति		**दिसम्बर, 2015 तिमाही में दाखिल किया गया केस**		**दिसम्बर, 2015 तिमाही में निष्पादित डी आर टी के केस**		**दिसम्बर, 15 की स्थिति**	
सं	**राशि**	**सं**	**राशि**	**सं**	**राशि**	**सं**	**राशि**
1706	698.43	165	25.21	54	8.19	2160	688.02

कार्यसूची सं	**8**
बैठक का दिनांक	**10.02.16**
बैठक सं	**54**

30.09.15 को सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम

9.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

दिनांक 30 सितम्बर , 2015 तक समग्र स्थिति

(राशि करोड़ में)

लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन		संवितरित		REJECTED	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8
1913	7873	6906	53.54	6680	39.57	196	848

- **वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सबसिडी प्राप्त करने की तिथि 31.05.2015 तक बढ़ा दिया गया था। इसके कारण से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान का प्राप्त कुछ आवेदनों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्वीकृत किया गया है।**
- पीएमईजीपी के तहत्त आवेदनों का ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट नहीं किया है। बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय से संपर्क कर इस सेवा की शुरुआत करनी चाहिए।

कार्यक्रम संख्या	**9**
बैठक की तारीख	**10.02.16**
बैठक संख्या	**54**

10. RSETI & FLC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है :

(**as of** 30.0**9**.15 **)**

झारखन्ड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , बिभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं **|**

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले

एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित**)** **1** जिला

- स्वतंत्र निदेशकों की पोस्टिंग :
  स्वतंत्र निदेशकों पदभार ग्रहण किया 25 केन्द्रों में
- <u>आरसेटी के लिए परिसर की स्थिति निम्न है</u> :
  किराए के परिसर 7 केन्द्रों में
  सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी परिसर (अस्थायी) 18 केन्द्रों में
- भूमि आवंटन की स्थिति
  भूमि आवंटित **25** केन्द्रों में
- भूमि स्थानांतरण की स्थिति
  भूमि स्थानांतरित- 25
- एम.ओ.आर.डी. दावा प्राप्ति की स्थिति : **21**

<u>निदेशकों का प्रशिक्षण</u>:

निदेशकों की संख्या जिन्होंने *टीटीपी प्रशिक्षण प्राप्त* किया 22 निदेशक

निदेशकों की संख्या जिन्होंने टीटीपी *प्रशिक्षण प्राप्त* नही किया - 3 निदेशक

AFY 14-15 का वार्षिक लक्ष्य :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संख्या - 659

Trainees की संख्या - 19720

AFY 14-15 के दौरान दिसम्बर ,2015 तक आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संख्या - 442

Trainees की संख्या - 13,341

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति ,

भवन निर्माण कार्य सम्पूर्ण - 1

भवन निर्माण कार्य प्रगति पर - 11

RSETI प्रशिक्षार्थीयों की बैंकों से वित्तीय संवन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2014-15 के दौरान		AFY 2015-16 के दौरान	
कुल प्रशिक्षार्थी	बैंकों से वित्तीय संवन्धता स्थापित	कुल प्रशिक्षार्थी	बैंकों से वित्तीय संवन्धता स्थापित
15978	1532	12719	1237

नोट :

51वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी इच्छुक RSETI प्रशिक्षार्थीयों को अनिवार्य रूप से,उनके सेवा क्षेत्र के बैंक शाखाओं के द्वारा CREDIT LINKAGE स्थापित की जाएगी | RSETI निदेशकों के द्वारा बैंकों की संवंधित शाखाओं में आवेदन भेजे जाएँगे एवं आवेदनों की अस्वीकृति के अधिकार,केवल नियंत्रक कार्यालयों के पास ही रहेंगे | परंतू उपरोक्त आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि यद्दपि इस दिशा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, परंतु उपलब्धि आशाजनक नही है, SPC , RSETI से यह आग्रह है की वें , इस विषय की MONITORING करें एवं अगर बैंक शाखाओं के द्वारा SLBC की उपरुक्त निर्णय का अनुपालन नहीं हो रहा है,तो उन शाखाओं का जिलावार व बैंकवार सूची SLBC को उपलब्ध कराएँ , ताकि संवंधित नियंत्रकों से इस मुद्दे का निष्पादन करवाया जा सके |

वित्तीय साक्षरता केंद्र का संचालन

आर.बी.आई के निर्देशानुसार , विभिन्न जिला स्तर पर संचालित सभी अग्रणी बैंकों को प्रत्येक LDM कार्यालयों में, समयबद्ध ढंग से एक वित्तीय साक्षरता केन्द्र का स्तापना करना अनिवार्य है | आर.बी.आई द्वारा यह निर्देश भी दिया गया की सभी बैंको के ग्रामीण शाखायों को आबश्यक तौर पर F.L.C Camp का आयोजन करना है| इसके अलावा बैंक दूसरों स्थानों पर भी आवश्यकता आधारित वित्तीय साक्षरता केन्द्रो की स्थापना पर विचार कर सकते हैं | वर्तमान में 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्र)FLCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (**जिला स्तर पर (**	**संख्या**
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (प)एवं(पु) गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़	**10**
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर,पलामू	**7**
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	**2**

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 16 केन्द्र

वनांचल ग्रामीण बैंक - 9 केन्द्र

<u>सितम्बर,2015 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर</u>

मार्च तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	785
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	2504
कुल	3289

वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के द्वरा सभी I.T.I (सरकारी एवं गैर सरकारी) एवं VOCATIONAL TRAINING CENTER के प्रशिक्षनार्थियो को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु,व्यापक पैमाने पर एक परियोजना शुरू किया गया, जिसके तहत सभी बैंक शाखाओं एवं FLC केन्द्रों को I.T.I (सरकारी एवं गैर सरकारी) एवं VOCATIONAL TRAINING CENTER आवंटित किया गया |उन शाखाओं एवं FLC केन्द्रों को अपनी अपनी आवंटित संस्थाओं में संचालित सभी सत्रों में नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता प्रदान करना पढ़ेगा | सभी नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वें इस विषय पर अपने बैंक की शाखा एवं FLC केन्द्रों को सूचित करें एवं नियमित रूप से इस विषय पर MONITORING करें |

कार्यक्रम सं	**10**
बैठक की तारीख	**10.02.16**
बैठक संख्या	**54**

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रहे हैं। पिछली बैठक की स्थिति नीचे दी गई है:

एस.एल.बी.सी की उप समितियां :

SN	**उप समिति के नाम**	**उप समिति के अध्यक्ष**	**उप समिति के अन्य सदस्यों में**	**संदर्भ की शर्तें**	**पिछली बैठक की तिथि**
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / (कृषि) सचिव GOJ संयोजक – नाबार्ड	1.प्रमुख सचिव / सचिव संस्थागत वित्त 2.प्रमुख सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग। 3. सचिव, वन विभाग। 4.नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5 (संयोजक बैंक एसएलबीसी) आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	1)कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां ,केसीसी सहित 2) नई परियोजना/स्कीम 3) ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	**11.01.16**

S N	उप समिति के नाम	उप समिति के अध्यक्ष	उप समिति के अन्य सदस्यों में	संदर्भ की शर्तें	पिछली बैठक की तिथि
			7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां		
2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	1). प्रमुख सचिव / सचिवसंस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 2 (भारतीय रिजर्व बैंक)विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम(3) स्थानीय निर्यात संस्था 4)उद्योग विभाग 5 (एक्जिम बैंक 6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी	1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)कृषि / हस्तकलाके निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारक	**20.01.16**
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह), GOJ संयोजक- एसबीआई	1) प्रमुख सचिव / सचिवगृह विभाग 2) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन	1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं	**28.09.15**

			3) प्रमुख सचिव / सचिवसंस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 4) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी) आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	व्यवस्था की स्थिति के बारे नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा करें 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं /करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती	

4.	सीडी अनुपात और एसीपी उपसमिति-	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव / सचिवसंस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4भारतीय स्टेट बैंक (5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9 (यूनियन बैंक	1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति 3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास	**20.01.16**
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	1) नवीनतम स्थिति और सरकार के पास लंबित मुद्दें / बैंक। 2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार)बैंक / सरकार)	**20.01.16**
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित सभी मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य	**02.02.15**

				सरकार से प्राप्त किया।	
7.	एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं	सचिव)ग्रामीण विकास(संयोजक- बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	**30.12.15**को **RBI Empowered Com.on MSME** की बैठक बुलाया गया था
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव)शहरी विकास) संयोजक- एसबीआई	1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र(	**07.08.15**
9	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव)ग्रामीण विकास(संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8)पी.एन.बी. 9)जे.जी.बी. 10) नाबार्ड	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	**10.08.15**

कार्यक्रम सं.	**11**
बैठक की तिथि	**10.02.16**
बैठक सं.	**54**

विविध कार्यसूची

1. विगत दिनों में झारखण्ड राज्य के अंदर, बैंकों में धोखाधड़ी (FRAUD) के संख्या में वृद्धि हुई है, पर कई एक बार देखा जाता है की , धोखाधड़ी (FRAUD) से संवंधित सूचना प्राप्त होने पर , पुलिस थानों में F.I.R दर्ज करवाने में बैंकों के प्रबंधन को कठिनाई का सामना करना पढता है | झारखण्ड सरकार से यह आग्रह है कि इस विषय पर पुलिस विभाग को दिशानिर्देश दिया जाए, जिससे थानों में बैंक प्रवंधन को अपेक्षित सहायता प्राप्त हो |

   (प्रस्तावक: बैंक ऑफ़ इंडिया)

2. झारखण्ड राज्य में WEAVERS CREDIT CARD के संवितरण में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नही हो पा रहा है , झारखण्ड सरकार के हस्तकरघा विभाग से आग्रह है कि वे बैंकों को प्रस्तावित लाभुकों की सूची उपलब्ध करवाएं एवं ताकि बैंकों के द्वारा बुनकरों को WCC उपलब्ध करवाया जा सके SLBC एवं नाबार्ड से आग्रह है कि वें WCC संवितरण की गहन MONITORING करें |

   (प्रस्तावक: नाबार्ड)

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवर्तित Empowered Committee on MSME द्वारा नियमित रूप से हर एक तिमाही में राज्य के अंदर दिए गए MSME ऋण की गहन समीक्षा की जाती है एवं SLBC की MSME उप समिति एवं RBI की EMPOWERED COMMITTEE के सदस्य भी एक ही है, जिसे देखते हुए RBI की EMPOWERED COMMITTEE की बैठक को ही SLBC उप समिति की मान्यता दी जाए |

   (प्रस्तावक: भारतीय रिज़र्व बैंक)

4. वित्तीय साक्षरता केंद्र के संचालन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देश, जिसे सभी बैंकों को SLBC द्वारा भेजा जा चुका है, को झारखण्ड राज्य में संवंधित बैंकों के द्वारा शुरुआत किया जाय |

   (प्रस्तावक: भारतीय रिज़र्व बैंक)

5. माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आर्डर संख्या - W.P (C) No.-494 of 2012 , dt.- 11.08.15 एवं 15.10.15 के आलोक में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार (कॉपी संलग्न) आधार कार्ड का व्यवहार एवं बैंक खातों में आधार संख्या का seeding को पूरी तरह से ऐच्छिक रखा जाय एवं कभी भी अनिवार्य न किया जाय |

   (प्रस्तावक: भारतीय रिज़र्व बैंक)

6. झारखण्ड सरकार से आग्रह है की विगत दिनों में उनके द्वारा शुरू किया गया गो-पालन , ई-रिक्शा इत्यादि पर अनुदान योजना एवं इनका बैंकों से संवंधता के संवंध में बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध कराएँ |

(प्रस्तावक- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

7. झारखण्ड सरकार से आग्रह है कि उत्तर-प्रदेश सरकार के तर्ज पर certificate case से संवंधित एक पोर्टल शुरू किया जाय , जिस पर सभी case की दाखिला से लेकर निदान तक सभी प्रासंगिक सुचना उपलब्ध हो |

(प्रस्तावक: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

8. भारतीय रिज़र्व बैंक MASTER CIRCULAR ON LEAD BANK SCHEME, Dt. – 1.07.15 के आलोक में, "वित्तीय समावेशन" पर मुख्य महा प्रवंधक , नाबार्ड के अध्यक्षता में SLBC कि एक उप-समिति का गठन किया जाय एवं यह उप-समिति राज्य के अंदर वित्तीय समावेशन से संवंधित सभी मुद्दों का नियमित रूप से समीक्षा करें |

(प्रस्तावक- नाबार्ड)

कार्यक्रम सं.	**12**
बैठक की तिथि	**10.02.16**
बैठक सं	**54**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...

अगली SLBC बैठक की तिथि :
11 मई , 2016